


फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर)

मालीराम बनाम राजस्थान सरकार वगै०

मुकदमा नम्बर :- 332/2025

घाट धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15.09.2025		<p>प्रार्थी मय अधिवक्ता के उपरिथत होकर प्रार्थना पत्र बाबत निर्णय व डिक्री मे संशोधन करवाने अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया है कि मुकदमा नम्बर 557/441/2006 बउनवानी मालीराम बनाम राजस्थान सरकार वगै० मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2025 को अन्तिम डिक्री पारित की गई है। उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 01.02.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी बाबत कायम मुकाम मय लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उभयपक्षो के अधिवक्तागण की बहस दिनांक 14.03.2018 को सुनी जाकर दिनांक 19.12.2019 को न्यायालय द्वारा संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु आदेश दिया गया। अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मृतक वादी/प्रार्थी संख्या 4 के वारिसान को शामिल किया जाकर संशोधित डिक्री जारी की जावे।</p> <p>बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली को रिकार्ड से तलब किया जाकर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना-पत्र एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मृतक वादी/प्रार्थी का संख्या 4 का कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। एवं संशोधित शीर्षक हेतु आदेशीत किया गया था। अतः मृतक वादी/प्रार्थी संख्या 4 के वारिसान को शामिल करते हुए पुनः संशोधित डिक्री एवं निर्णय किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मृतक वादी/प्रार्थी संख्या 4 के वारिसान को शामिल करते हुए इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2025 में मृतक वादी/प्रार्थी संख्या 4 के वारिसान को शामिल किया जाकर पुनः संशोधित निर्णय एवं संशोधित डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।</p>	


सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर

स्थायी सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:-557/441/06

उनवान

1. मालीराम पुत्र लच्छू
2. जगदीश पुत्र लच्छू (मृतक दौराने दावा)
 - 2/1. प्रेम देवी पत्नि स्व0 जगदीश
 - 2/2. सुभाषचन्द कोटिया पुत्र स्व0 जगदीश
 - 2/3. गायत्री देवी पत्नि पवन कुमार टांक पुत्री स्व0 जगदीश जाति धोबी हाल निवासी 137, कृष्णा नगर त्रिवेणी, गोपालपुरा रोड, टोंक फाटक, जयपुर।
3. मदन पुत्र लच्छू
4. रामस्वरूप पुत्र स्व0 भंवरलाल पौत्र लच्छू (मृतक दौराने दावा)
 - 4/1. पुष्पा देवी पत्नी स्व0 रामस्वरूप
 - 4/2. तरुण पुत्र स्व0 रामस्वरूप
 - 4/3. अमित पुत्र स्व0 रामस्वरूप
5. मोहन पुत्र स्व0 भंवरलाल पौत्र लच्छू
6. सोहन पुत्र स्व0 भंवरलाल पौत्र लच्छू
7. राजू पुत्र स्व0 भंवरलाल पौत्र लच्छू
8. विष्णु पुत्र स्व0 भंवरलाल पौत्र लच्छू
9. पार्वती देवी पत्नि भंवरलाल समस्त जाति धोबी निवासीयान खान धर्म कांटा के सामने कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीगण-

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश जयपुर।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. गोदी पुत्री भैरु पत्नि छोटीलाल जाति धोबी निवासी गंवारवाले पी-62 किसान मार्ग टोंक फाटक जयपुर।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये चेयरमेन, जवाहरलाल रेहरु मार्ग, बिडला मन्दिर के सामने जयपुर।
5. मैसर्स माधाणी पेट्रोल पम्प जरिये प्रोपराईटर द्वारका प्रसाद प्रसादी व प्रभूदयाल पुत्र हनुमानसहाय जाति महाजन निवासी बन्धे के पास सीकर रोड कस्बा चौमूं, जिला जयपुर।
6. पुलिस उप-अधीक्षक, वृत चौमूं, माधाणी पेट्रोल पम्प के पास, सीकर रोड, कस्बा चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती, किस्म परिवर्तन एवं


स्थायी निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जयपुर


संशोधित निर्णय

दिनांक :-15.09.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि करवा चौमू स्थित आराजी भूमि पुराने खसरा नम्बर, 1651 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा का था। जिसमें से वादीगण के पिता लच्छु व गोपाल पुत्र चन्दा तथा भैरु पुत्र लादू का 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर बहिस्सा बराबर का कब्जा व काश्त था। इसी आधार पर उक्त तीनों के नाम से दिनांक 29-3-60 को सम्वत् 2012 से पूर्व का कब्जा मानते हुए नियमानुसार खातेदारी प्रदान की गई। इस 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर उक्त तीनों भाईयों की खातेदारी बराबर की थी। जिसमें से एक हिस्सेदार खातेदार गोपाल 1/3 के हिस्सेदार ने अपने हिस्से में से 10 बिस्वा भूमि तो छीतरमल, रामकुंवार पुत्रान दूलीचन्द जांगीड़ को बेचान कर दी, उसके बाद भी बची हुई भूमि 2 बीघा में भी तीनों हिस्सेदार का नाम गलती से बहिस्सा बराबर रह गया व खातेदारी में चलता रहा। जबकि लच्छु पिता वादीगण का हिस्सा पौने सत्रह (सत्तह) बिस्वा था व पौने सत्रह बिस्वा ही भैरु पुत्र लादू का था तथा पौने सत्रह बिस्वा ही गोपाल का था। परन्तु रिकार्ड के अनुसार, वादीगण की कम करके 13 बिस्वा (सवा तेरह बिस्वा) की खातेदारी रही। गोपाल 1/3 हिस्सा के हिस्सेदार खातेदार ने अपनी गलती से बचा हुआ हिस्सा में पुनः पूरा तिसरा हिस्सा की भूमि को माधाणी पेट्रोल पम्प वाले प्रतिवादी संख्या 6 प्रभूदयाल माधाणी को बेच दी। इस प्रकार से अब गोपाल का कोई हिस्सा की भूमि नहीं बची तथा वैसे भी गोपाल ना औलाद हैं तथा उसका वादीगण के अलावा कोई वारिस मौजूद नहीं हैं। वादीगण ही हैं तथा भैरु के एक मात्र औरत धन्नी ही थी, जो 8-10 वर्ष पूर्व फौत हो गयी तथा एक लड़की गोदी थी। जिसकी शादी वर्षों पूर्व हो चुकी है तथा जो ससुराल जाकर रहती हैं तथा इसके हिस्से की जमीन थी, वह भी माधाणी पेट्रोल पम्प को व समदाराम धोबी को बेच दी, इस प्रकार से इसके हिस्से की भूमि भी मौके पर नहीं है। ही बची है। धन्नी पत्नि भैरु पूर्व में ही मर चुकी हैं। वादीगण पौने सत्रह बिस्वा भूमि के खातेदार थे, तथा पौने सत्रह बिस्वा भूमि ही हिस्से में आती हैं। जिसके पुराने खसरा नम्बर 1651 थे। जिसके नये सर्वे में हाल खसरा नम्बर 2814 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2815 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 2816 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 2818 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.51 हैक्टर बने हैं तथा इसी खसरा नम्बर पुराने से हाल खसरा नम्बर 2817 बने हैं। पूर्व में 9 बीघा 15 बिस्वा का तकासमा तरमीम नक्शा में नहीं हुआ था। परन्तु मौके पर वादीगण व इनके भाई हिस्सेदार खातेदारों ने कब्जा अपना अपना कर रखा था व इसी अनुसार खातेदारी प्रदान की गई थी। वादीगण सम्वत् 2012 से काफी पूर्व से काबिज होने के अनुसार कब्जा व हाल खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.27 हैक्टर पर पूर्ववत् हैं, जो गलती से चरागाह की भूमि "भूमि का प्रकार में" लिखा है। जिसमें वादीगण जगदीश का पुख्ता मकान जिसमें चार कमरे, बारुण्डी


सहायक ~~जज~~ (फास्ट ट्रेक)
जी० जयपुर


बने हुए हैं। जगदीश की ही एक दुकान की जमीन नाले के पास में हैं। जिसकी भी नींव भरी हुई हैं, जो काफी वर्षों पूर्व के बनाए हुए हैं एवं तार बाऊण्डी कर रखी हैं तथा नेशनल हाईवे नं0 11 मुख्य सड़क पर खुलती हुई 14 दुकाने व एक मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में देखता हुआ बना रखा है, मकान में विद्युत कनेक्शन करीब 15 वर्षों से लगा हुआ है तथा नल कनेक्शन भी 10-15 वर्षों से लगा रखा है एवं दूसरा नल कनेक्शन 1970 से पहले का कनेक्शन हैं तथा धोबी घाट सैकड़ों वर्षों से बना हुआ हैं। इस प्रकार से इस खसरा नम्बर 2817 जो पुराने खसरा नम्बर 1651 से बना है, जिसकी ही खातेदारी दी गई हैं व जिसके 0.14 हैक्टर पर वादीगण काबिज है, को गलती से वादीगण की खातेदारी में नहीं देकर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से खातेदारी हॉल बन्दोबस्त ने कर दी, जो गलत हैं। जिस पर गलत पर्चा जारी खातेदारी करने का अधिकार नहीं हैं। इस खसरा नम्बर 2817 में से 0.14 हैक्टर भूमि पर वादीगण काबिज हैं जो हाल पर्चा खातेदारी में कब्जे के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण का नाम हटाया जाकर दुरुस्ती किया जाना आवश्यक हैं व ऊपर वर्णित अनुसार सम्पत्ति पुख्ता लाखों रुपये लगाकर कई वर्षों पूर्व से बना रखी हैं व वादीगण मय परिवार के आबाद हैं, को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज कर गलत इन्द्राज किया गया हैं। जबकि वादीगण के उक्त हिस्से के अलावा शेष खातेदारी के खसरा नम्बर 2814, 2815, 2816, 2818 में से 0.06 हैक्टर पर भी वादीगण काबिज हैं व इस जमीन के अलावा वादीगण के पास ओर कोई भूमि भी नहीं हैं, न ही थी, जो राजस्व रिकार्ड में अलावा वादीगण के गलती से अन्य के नाम दर्ज कर दी गई है। जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं। सेटलमेन्ट की गलती से नक्शा में व खाते में खसरा नम्बर 2817 की भूमि को जिसमें उक्त वर्णितानुसार वादीगण काबिज है, परन्तु गलती से जयपुर विकास प्राधिकरण प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज कर दी गयी, का नाम हटाया जाकर उक्त खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.14 हैक्टर व हाल खसरा नम्बर 2814, 2815, 2816, 2818 में से 0.06 हैक्टर, इस प्रकार कुल 0.20 हैक्टर की खातेदारी वादीगण के नाम से रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर दुरुस्ती किया जाना जरूरी हैं। क्योंकि खातेदारी में से केवल 0.06 हैक्टर भूमि की पहले से खातेदारी वादीगण के नाम से हैं, उसी अनुसार दुरुस्ती किये जाते हुए खातेदारी प्रदान कर नक्शे में भी दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित हैं। वादीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 2817 में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, चौमूं का बंगला व कुछ हिस्से में माधाणी पेट्रोल पम्प ने कब्जा कर रखा हैं। जबकि वादीगण कब्जे के अनुसार खातेदारी में व नक्शा में दुरुस्ती चाहते हैं। खसरा नम्बर 2817 में वादीगण के कब्जेशुदा 0.14 हैक्टर केअलावा 0.13 हैक्टर भूमि पर पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय बना हुआ हैं, पूरे नम्बर का कोई विवाद नहीं हैं, पर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम गलत अंकित किया है व किरम गलत अंकित की हैं। जो दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 2816 में माधाणी पेट्रोल पम्प, 2815 पर मकान माधाणी का


सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
जयपुर

खसरा नम्बर 2814 पर समदाराम धोबी का मकान हैं तथा इस प्रकार से 0.14 हैक्टर व 0.06 हैक्टर की वादीगण के नाम रिकार्ड में नाम व किस्म दुरुस्ती की जाकर वादीगण की खातेदारी में दिया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। उपरोक्त अनुसार दुरुस्ती किए जाने से किसी के भी अधिकारों पर कोई कुठाराघात होने वाला नहीं हैं। यह गलती सर्वे सेटलमेन्ट के कर्मचारियों की लापरवाही से हुई हैं। जिन्होंने सही जगह, सही नम्बर नहीं दिए, नक्शा में भी गलत जगह कब्जे अंकित किए हैं। जिससे वादीगण के अधिकारों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है व वादीगण के अधिकारों पर ही कुठाराघात हुआ है, शेष 2/3 हिस्सेदारों ने तो अपना हिस्सा दूसरों को दे दिया। शुरू से ही वादीगण प्रतिवादीगण को दुरुस्ती हेतु व नक्शा सही करवाने का निवेदन करते आये हैं, परन्तु नहीं की तथा धारा 136 एल. आर. ऐक्ट के तहत वादीगण ने आवेदन न्यायालय श्रीमान्जी के यहां किया। जिसमें न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 25-9-2006 को आदेश देते हुए रेगूलर वाद के बिना दुरुस्ती व खातेदारी दिया जाना सम्भव नहीं माना। इस कारण से अब यह वाद पेश किया जाना लाजमी हुआ है

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती, किस्म परिवर्तन व स्थायी निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण डिग्री फरमाया, जाकर वाद-पत्र मद नं० 1 एवं वाद-पत्र मद नं० 4 में वर्णित भूमि के बाबत खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.14 हैक्टर कब्जा की सम्पूर्ण एवं हाल खसरा नम्बर 2814, 2815, 2816, 2818 में से 0.06 हैक्टर, वाके कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर की भूमि, इस प्रकार कुल 0.20 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी वादीगण के नाम से रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर दुरुस्ती करवायी जाने की घोषणा फरमायी जावे। उक्त घोषणा अनुसार रिकार्ड दुरुस्ती करवायी जाकर वादीगण के नाम खातेदारी प्रदान कर राजस्व रिकार्ड म नक्शे में भी दुरुस्ती फरमायी जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवाये कि वे वादीगण की कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित उक्त खसरा नम्बर 2817 रकबा 0.14 कब्जा की हैक्टर सम्पूर्ण एवं हाल खसरा नम्बर 2814, 2815, 2816, 2818 में से 0.06 हैक्टर, इस प्रकार कुल 0.20 हैक्टर भूमि में वादीगण को बेदखल नहीं करे, ना ही वादीगण कब्जे व उपयोग उपभोग। में रूकावट करें, ना ही वादीगण की उक्त भूमि को अन्य किसी के नाम से आंवटन करे, ना ही वादीगण के उपयोग उपभोग में मजाहमत व मदाहखत करें, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करे, ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी गौचर भूमि है, जिससे किसी अन्य बात एवं कानून के होते हुए भी किसी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है, दावा खारिज योग्य है। वादीगण



सहायक हैक्टर (फास्ट ट्रेक)
जयपुर

मन प्रतिवादी के स्वामित्व की भूमि की घोषणा का दावा मन प्रतिवादी को ज0वि0प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 79 का नोटिस दिये बिना प्रस्तुत करने एवं उक्त अधिनियम की धारा 92 अनुसार अन्य विधियों पर जेडीए अधिनियम अधिभावी होने से उक्त नोटिस नहीं देने से वाद पत्र खारिज योग्य है।

प्रकरण में अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य शपथ पत्र आदि का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती, किस्म परिवर्तन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कब्जे काश्त के आधार पर घोषणा चाही गई है, जबकि विवादित भूमि की किस्म चारागह राजकीय प्रतिबन्धित भूमि एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, जो कानूनन किसी व्यक्ति को खातेदार अधिकार प्रबोध नहीं होते है। ऐसे में वादीगण का वाद राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत, बिना किसी विधिक अधिकार के पेश होने व बार्ड बाई लॉ होने तथा (Maintainable) पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत, बिना किसी विधिक अधिकार के पेश होने व बार्ड बाई लॉ होने तथा (Maintainable) पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक क्लर्क (फा0ट्रै0/मुख्यालय) चौमूँ